उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - मऊदरवाजा

दि0-03.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुदीप पुत्र लालाराम निवासी मोहल्ला हाता इस्लाम खां भीकमपुरा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0-61/2023 वाद संख्या 633/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-09 कोर्ट द्वारा दिनांक 03.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्त को 04 वर्ष कारावास की सजा व 5500 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री अखिलेश कुमार



को0 मो0 - का0 बन्टी कुमार



पैरोकार - का0 गुलाम गौस

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 03.11.2026

थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को आनलाइन सट्टा खेलते हुए 01 अदद मोबाइल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा दिनांक 03.11.2026 को गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध युवक से 01 एंड्राएड मोबाइल व ऑनलाइन सट्टा से सम्बंधित स्क्रीन शॉट की प्रति बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0-207/26 धारा-13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 बनाम सुशील कुमार पुत्र श्री महाराम निवासी ग्राम सीढ़ेचकरपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01 सैमसंग एंड्राएड मोबाइल व ऑनलाइन सट्टा से सम्बंधित स्क्रीन शॉट की प्रति

अभियुक्त सुशील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-207/26 धारा-13 सार्वजनिक जुँआ अधिनियम 1867 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

मीडिया सेल फतेहगढ़।